(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 266 / 2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 701

1. खड़ग सिंह पुत्र स्व० मदन सिंह उम्र 45 साल जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
2. चित्रो देवी पत्नी स्व० मदन सिंह उम्र 65 साल जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
3. सज्जन सिंह पुत्र स्व० मदन सिंह उम्र 42 साल जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

..........वादीगण

बनाम

1. विजयपाल पुत्र रामकुमार उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
2. अमीलाल पुत्र काशीराम उम्र 75 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
3. शिवलाल पुत्र काशीराम उम्र 72 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
4. करण सिंह पुत्र शादीराम उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
5. शकुन्तला पुत्री शादीराम पत्नी यादराम जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० हाल आबाद दोंगड़ा अहीर तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरि०
6. सन्तोष पुत्री शादीराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० हाल आबाद चुड़ेली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरि०
7. भगोती पुत्री शादीराम उम्र 45 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
8. कौशल्या पत्नी रघुवीर उम्र [illegible] साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
9. बबीता पुत्री रघुवीर उम्र 28 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

10. मुनेश पुत्री रघुवीर पत्नी उम्र 30 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० हाल आबाद तौतांगा सहेलंग तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरि०
11. ममता यादव पुत्री रघुवीर उम्र 27 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
12. भूप सिंह पुत्र श्योकरण उम्र 64 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
13. मान सिंह पुत्र शादीराम उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
14. सत्यपाल पुत्र श्योकरण उम्र 62 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
15. सुभाषचन्द पुत्र श्योकरण उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
16. पंजाब नेशनल बैंक सिंघाना जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
17. युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबंधक जिला झुंझुनू राज०
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०.

..............प्रतिवादीगण

दावा बाबतः— घोषणात्मक खातेदारी रिकार्ड दुरूस्ती, नक्शा दुरूस्ती

—:निर्णयः— **दिनांकः—**

(1). वादी का वादपत्र रहा किः—

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता स0 226 के ख० न० 1521 रकबा 0.17 है० ख० न० 2310 रकबा 1.46 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.63 है0 के खातेदार काश्तकार वादीगण दर्ज रिकार्ड है तथा इसी प्रकार से ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खाता स0 1221 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के ख० न0 2309 रकबा 1.50 है० के खातेदार काश्तकार प्रति० स० 1 से 15 दर्ज रिर्काड है।
2. यह कि हाल ख० न० 2309 रकबा 1.50 है० ख० न0 2310 रकबा 1.46 है० गत ख० न० 558 से निर्मित हुए है ... हाल ख० न० 2309 तथा गत ख० न० 558/2 के हाल ख० न० 2310 निर्मित ... गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

3. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने गत ख० न० 558 को अपने पूर्वजो के समय से ही बाहमी बंटवारा कर लिया था उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन जब भूमि की खातेदारी अलग से दर्ज हुई है उस समय ख० न0 2309 रकबा 1.50 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कर दी। जबकि इस भूमि पर कदीम से वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है तथा इस प्रकार से ख० न0 2310 रकबा 1.46 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज कर दी। जबकि इस भूमि पर कदीम से प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा मौके पर इस अनुसार सीमा कायम करके काश्त कर रहे है चूकि इस भूमि के पूर्व गत ख० न० 558 थे इस गत ख० न० 558 से हाल ख० न० 2309 व 2310 निर्मित हुए है लेकिन ख० न० 2309 व 2310 की खतोदारी अलग अलग दर्ज हुई। उस समय सहवन से ख० न० गलत दर्ज कर दिये गये। ख० न० 2309 रकबा 1.50 है० जो वादीगण के कब्जे काश्त में था उसकी खातेदारी प्रति० स० 1 से 15 के नाम से दर्ज कर दी। तथा ख० न० 2310 रकबा 1.46 है0 जिस पर कब्जा प्रति० स० 1 से 15 का है उसकी खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज हो गई है जबकि मौके पर ख० न0 2309 रकबा 1.50 है0 पर वादीगण तथा ख० न० 2310 रकबा 1.46 है0 पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा मौके पर सीमा कायम कर रखी है इसी प्रकार से रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर ख० न० 2309 की खातेदारी वादीगण के नाम से तथा ख० न0 2310 की खातेदारी प्रति० स० 1 से 15 के नाम से दर्ज किया जाकर इसी प्रकार से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि वादीगण वर्षों पूर्व से ही अपने हकपूर्वाधिकारी के समय से ही उक्त भूमि ख० न० 2309 पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चले आ रहे है। तथा इस बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण ने कभी कोई विवाद नहीं हुआ है और इसी वजह से राजस्व रिकार्ड की और कभी ध्यान नहीं दिया गया है तथा मौके पर ख० न० 2309 रकबा 1.50 है0 भूमि को वादीगण काश्त कर रहे है तथा ख० न० 2310 रकबा 1.46 है0 को प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है इस अनुसार अपनी भूमि में सुधार भी कर रहे है लेकिन गत सप्ताह वादीगण ने अपनी भूमि की जमाबन्दी व नक्शा निकलवाया तथा उस पर किसान क्रेडिट बनाने हेतु पटवारी के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया की आप जिस भूमि पर काबिज है उक्त भूमि तो प्रति० स० 1 से 15 के नाम से दर्ज है तथा उक्त भूमि पर पहले से ही किसान क्रेडिट कर्ज उन... के नाम से बना हुआ है। उक्त भूमि की और रिकार्ड की जानकारी ... कि उनके ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल ख० न० 2309 रकबा 1.50 है0 ... प्रति० स० 1 से 15 के नाम से दर्ज हो गई है तथा भूमि ख० न0 2310 रकबा 1.46 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है जबकि मौके पर ख० न0 2309 रकबा 1.50 है० भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

पर वादीगण काबिज काश्त है तथा ख० न0 2310 रकबा 1.4680 पर प्रति० स० 1 से 15 काबिज काश्त है तथा इस अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

5. यह कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खाता स0 1221 के ख० न0 2309 रकबा 1. 50 है0 की भूमि वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए तथा भूमि खाता स० 226 के ख० न0 2310 रकबा 1.46 है० भूमि प्रति० स० 1 से 15 के नाम दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए। क्योकि वादीगण व प्रतिवादीगण इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है अर्थात वादीगण के कब्जे की भूमि ख० न0 2309 रकबा 1. 50 है० भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी खातेदारी को वादीगण के नाम से दर्ज किया जावे तथा हाल ख० न० 2310 रकबा 1.46 है0 की खातेदारी वादीगण की जगह प्रति० स० 1 से 15 की खातेदारी में दर्ज कर उनके नाम से खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तथा प्रति० स० 1 द्वारा प्रति० स० 17 से ऋण ले रखा है तथा प्रति० स० 4, 6, 7, 13, 15 ने प्रति० स० 16 से ऋण ले रखा है उसको ख० न० 2310 जो प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है उसी अनुपात में ख० न० 2309 से हटा कर ख० न0 2310 पर दर्ज कर दिया जाना आवश्यक है।

6. यह कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि ख० न० 2309 व 2310 गत ख० न0 558 से निर्मित हुए है जब इस भूमि की खतोदारी इन खातेदारों के नाम से अलग से दर्ज की गई उस समय जिस भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त रहा है ख० न० 2309 उसकी खातेदारी प्रति० स० 1 से 15 के नाम से दर्ज कर दी गई तथा ख० न0 2310 रकबा 1.46 है० जिस पर प्रति० स० 1 से 15 का कब्जा काश्त चला आ रहा है उसकी खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज कर दी गई है जिसकी वजह से वादीगण को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है इसलिए मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार हाल ख० न0 2309 की खतोदारी वादीगण की खतोदारी में तथा ख० न0 2310 की खतोदारी प्रति० स० 1 से 15 की खतोदारी में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है।

7. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान जी को वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

8. यह कि दावे के लिए आधार विवाद गत माह वादीगण [illegible] द्वारा अपनी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लेने हेतु जमाबन्दी व नक्शे [illegible] लेने पर तथा पटवारी हल्का द्वारा यह जानकारी देने पर की [illegible] है वह प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है तथा [illegible] वादीगण काबिज काश्त काबिज काश्त है वह वादीगण की खातेदारी में [illegible] 2310 जिस पर प्रतिवादीगण [illegible] है की जानकारी होने पर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व नक्शा दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है। जो सावधि है।

9. यह कि वाद पत्र राज० काश्त० अधि० के अनुसार 3 रू० कोर्ट फीस पर पेश है।

10. यह कि खातेदार श्योकारी पत्नी श्योकरण फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान वादीगण का नाम जमाबन्दी में पहले से ही दर्ज है इसलिए उनको पक्षकार बनाया गया है तथा प्रति० स० 1 ने प्रति० स० 17 से ऋण ले रखा है तथा प्रति० स० 6, 7, 13, 15 ने प्रति० स० 16 से ऋण ले रखा है इसलिए उनको पक्षकार बनाया गया है तथा प्रति० स० 18 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

11. यह कि वाद पत्र नवीनतम रिकार्ड के साथ पेश किया गया है इसके पश्चात वादीगण द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है।

12. यह कि वाद पत्र दो प्रतियों में पेश किया जा रहा है तथा शपथ पत्र वादी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता स० 1221 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल ख० न० 2309 रकबा 1.50 है0 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे तथा प्रति० स० 1 से 15 के नाम से दर्ज खातेदारी में नाम हटाया जावे तथा ख० न० 2310 जो वादीगण की खतोदारी में दर्ज है उसको प्रति० स० 1 से 15 खातेदार दर्ज किया जाकर ख० न0 2310 में से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा इसी प्रकार ख० न0 2309 में प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया ऋण का उसी अनुपात में ख० न0 2310 में दर्ज करते हुए रिकार्ड दुरूसत किया जाने की कृपा करे। अथवा हाल नक्शा में ख० न0 2309 की जगह 2310 व 2310 की जगह 2309 दर्ज करते हुए नक्शा दुरूस्त किया जावे।

(ख). कि ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख० न० 2309 की खातेदारी वादीगण के नाम से तथा ख० न0 2310 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा ख० न0 2309 में से प्रति० स० 1 से 15 तथा ख० न0 2310 में से वादीगण का नाम हजफ किया जावे।

(ग). कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जावे।

(घ). कि अन्य अनुतोष जो आयाचित [illegible] वादीगण को दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी की गई। प्रतिवादीगण को सम्मन तामील हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 8 की ओर से श्री सुरेन्द्र यादव मानपुरा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा जवाब दावा मय प्रतिदावा दिनांक 23.12.2022 को पेश किया गया। तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में दिनांक 04.07.2023 को लाई गई।

प्रति० सं० 1 ल० 3 व 7 ल0 18 की ओर से जबाब दावा व प्रतिदावा निम्नप्रकार से पेश है–

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 1 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 2 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 3 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 4 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 5 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 6 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 7 बाबत क्षेत्राधिकार है जिसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
8. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 8 जिस भांति दर्ज है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
9. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 9 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
10. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 10 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
11. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 11 जिस भांति दर्ज है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
12. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 12 जिस भांति दर्ज है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि वादीगण का अनुतोष स्वीकार है।

प्रतिदावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित [illegible] जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता सं0 226 [illegible] सं0 2310 रकबा 1.46 है0 कुल किता 2 कुल [illegible] दार काश्तकार वादीगण दर्ज रिकार्ड है तथा इसी प्रकार से ग्राम बुहाना स्थित [illegible] हाल खाता सं0 1221 जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

संवत 2075 से 2078 के ख० न0 2309 रकबा 1.50 है0 के खातेदार काश्तकार प्रतिदावाकर्ता स० 1 से 15 दर्ज रिकार्ड है।

2. यह कि प्रतिदावा के खण्ड स० 13 में स्थित भूमि ख० न0 2310 रकबा 1. 46है0 पर प्रतिदावाकर्ता /प्रति० स० 1 ल0 15 कब्जो कास्त है तथा ग्राम – बुहाना स्थित भूमि ख० न0 2309 रकबा 1.50 है० जो प्रतिदावाकर्ता के नाम से दर्ज रिकार्ड है उस पर वादीगण का कब्जा कास्त है उसी अनुसार मौके पर कभी से शान्तिपूर्वक काबिज कास्त चले आ रहे है।

3. यह कि प्रतिदावा के खण्ड स० 13 में वर्णित भूमि सहवन से एक दुसरे के गलत रूप से दर्ज हो गई। क्योकि जहा वादीगण का कब्जा है वह खसरा नम्बर प्रतिदावाकर्ता /प्रति० स० 1 ल० 15 के नाम से दर्ज रिकार्ड है व जहां प्रतिदावाकर्ता का कब्जा कास्त है वहाँ वादीगण का कब्जा कास्त है इसलिए उक्त रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि प्रतिदावा पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

5. यह कि प्रतिदावा दो प्रतियों में पेश किया जा रहा है।

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि–

(क). कि ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि ख० न0 2310 रकबा 1.46 है का प्रति० स० 1 से 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम हजफ किया जावे तथा ख० न0 2309 रकबा 1.50 है0 के खातेदारी कास्तकार वादीगण को घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा प्रति० स० 1 ल0 15 का हिस्सा ख० न0 2309 में दर्ज अनुसार ही ख० न0 2310 में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(ख). कि वाद प्रतिदावाकर्ता डिकी किया जावे।

(ग). कि अन्य अनुतोष जो आयाचित रह गया हो दिलवाया जावे।

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 15 की ओर से जवाब दावा व प्रतिदावा पेश किया गया। शेष की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने बताया कि वादीगण की पैतृक जमीन है जिसके जन्म से [illegible] निहित है अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादी द्वारा मिशल [illegible] खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2019–2022, जमाबन्दी सम्वत 2075–2[illegible] मिलान क्षेत्रफल, नक्शा सन्

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

1936-37 की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्विक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

" न्यायालय वाद वादीगण व जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 15 का अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 1221 के खसरा नम्बर 2309 रकबा 1.50 हैक्टर का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाकर तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के नाम से दर्ज खातेदारी में नाम हटाया जाकर तथा खसरा नम्बर 2310 जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज है उसको प्रतिवादी संख्या 1 से 15 खातेदार दर्ज किया जाकर खसरा नम्बर 2310 में से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2309 में प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया ऋण का उसी अनुपात में खसरा नम्बर 2310 में दर्ज करते हुए रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर अथवा हाल नक्शा में खसरा नम्बर 2309 की जगह 2310 व 2310 की जगह 2309 दर्ज करते हुए नक्शा दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 17/7/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 266 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :— 2022 / 701

खड़गसिंह वगै बनाम विजयपाल आदि

दावा बाबत— घोषणात्मक खातेदारी रिकार्ड दुरूस्ती, नक्शा दुरूस्ती

—:निर्णय:—

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 15 की ओर से श्री सुरेन्द्र यादव मानपुरा एडवोकेट की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादीगण व जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 15 का अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 1221 के खसरा नम्बर 2309 रकबा 1.50 हैक्टर का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाकर तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के नाम से दर्ज खातेदारी में नाम हटाया जाकर तथा खसरा नम्बर 2310 जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज है उसको प्रतिवादी संख्या 1 से 15 खातेदार दर्ज किया जाकर खसरा नम्बर 2310 में से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2309 में प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया ऋण का उसी अनुपात में खसरा नम्बर 2310 में दर्ज करते हुए रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर अथवा हाल नक्शा में खसरा नम्बर 2309 की जगह 2310 व 2310 की जगह 2309 दर्ज करते हुए नक्शा दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17/7/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)